



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1098]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 19, 2006/भाद्र 28, 1928

No. 1098]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 19, 2006/BHADRA 28, 1928

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 2006

का.आ. 1569(अ).—केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (2) के खंड (ii), धारा 6 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (ख) और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) संशोधन नियम, 2006 है ।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
2. ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में,—
  - (i) नियम 4 में, उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—
 

“(3) संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समितियाँ, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के परामर्श से, ध्वनि प्रदूषण और खोले गए उपायों से संबंधित तकनीकी और सांख्यिकी आंकड़ों को, इसके प्रभावी निवारण, नियंत्रण और उपशमन के लिए, संग्रहीत, संकलित और प्रकाशित करेंगे ।”
  - (ii) नियम 8 में,—
    - (क) उपनियम (1) में “उसके द्वारा प्राप्त किसी अन्य सूचना से” शब्दों के पश्चात्, “जिसमें शिकायतकर्ता से प्राप्त सूचना भी सम्मिलित है,” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;
    - (ख) उपनियम (2) के परन्तुक में, “आवेदक को” शब्दों के स्थान पर “यथास्थिति, आवेदक और मूल शिकायतकर्ता को” शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. क्यू.-15022/1/2003-सौपोए]

आर. के. वैश, संयुक्त सचिव

टिप्पण:—मूल नियम, भारत के राजपत्र में, सं. का.आ. 123(अ), तारीख 14 फरवरी, 2000 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सं. का.आ. 1046(अ), तारीख 22 नवम्बर, 2000 और सं. का.आ. 1088(अ), तारीख 11 अक्तूबर, 2002 द्वारा संशोधित किए गए थे ।

## MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 19th September, 2006

**S.O. 1569(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (ii) of sub-section (2) of Section 3, sub-section (1) and clause (b) of sub-section (2) of Section 6 and Section 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following rules to amend the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000, namely :—

1. (1) These rules may be called the Noise Pollution (Regulation and Control) Amendment Rules, 2006.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000,—
  - (i) in rule 4, after sub-rule (2) the following sub-rule shall be inserted namely :—

“(3) The respective State Pollution Control Boards or Pollution Control Committees in consultation with the Central Pollution Control Board shall collect, compile and publish technical and statistical data relating to noise pollution and measures devised for its effective prevention, control and abatement.”
  - (ii) in rule 8,—
    - (a) in sub-rule (1), after the words “received by him”, the words “including from the complainant” shall be inserted;
    - (b) in sub-rule (2), in the proviso, after the words “afford to the applicant”, the words “and to the original complainant, as the case may be,” shall be inserted.

[F. No. Q -15022/1/2003-CPA]

R. K. VAISH, Jt. Secy.

**Note:—** The principal rules were published in the Gazette of India, *vide* number S.O.123(E), dated the 14th February, 2000 and subsequently amended *vide* S.O. 1046(E) dated 22nd November, 2000 and S.O. 1088(E) dated 11th October, 2002.